

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स0 सु0 विविध-(बैठक)-05-27 / 2018, 7705 / परि0 पटना, दिनांक-4.11.2018

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त

-सह-

सदस्य सचिव,

कार्यपालक समिति,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव,

जिला सड़क सुरक्षा समिति, अररिया।

विषय-

वर्ष 2018 में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक भी त्रैमासिक बैठक आहूत नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग-

परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा) का पत्रांक 5910 दिनांक 13.09.2018, पत्रांक 7005 दिनांक 02.11.2018 तथा स्मार पत्रांक-7411 दिनांक 23.11.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करें, जिनके द्वारा आपसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने तथा बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया है।


समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आपके जिले में वर्ष 2018 में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक भी त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय को अबतक अप्राप्त है। स्मार पत्र तथा Video Conferencing द्वारा दिनांक 27.11.2018 को निदेशित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा एक भी बैठक की कार्यवाही का नहीं भेजा जाना कार्यों के प्रति उदासीनता, मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना तथा कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-23 (1), 24 के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियम, 26 (4) के तहत प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जानी है।

उपरोक्त परिस्थिति में आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,


१०/१२/१८

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक-स0 सु0 विविध-(बैठक)-05-27 / 2018,/परि0 पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त

—सह—

सदस्य सचिव,

कार्यपालक समिति,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी—सह—सदस्य सचिव,

जिला सड़क सुरक्षा समिति, अररिया।

विषय—

वर्ष 2018 में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक भी त्रैमासिक बैठक आहूत नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग—

परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा) का पत्रांक 5910 दिनांक 13.09.2018, पत्रांक 7005 दिनांक 02.11.2018 तथा स्मार पत्रांक-7411 दिनांक 23.11.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करें, जिनके द्वारा आपसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने तथा बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आपके जिले में वर्ष 2018 में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक भी त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय को अबतक अप्राप्त है। स्मार पत्र तथा Video Confrencing द्वारा दिनांक 27.11.2018 को निदेशित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा एक भी बैठक की कार्यवाही का नहीं भेजा जाना कार्यों के प्रति उदासीनता, मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना तथा कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-23 (1), 24 के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियम, 26 (4) के तहत प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जानी है।

उपरोक्त परिस्थिति में आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,

ह0/—

राज्य परिवहन आयुक्त—सह—सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक—स0 सु0 विविध—(बैठक)—05—27 / 2018, 7705 / परि0 पटना, दिनांक—12/12/18
प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।

 12/12/18

राज्य परिवहन आयुक्त—सह—सदस्य सचिव,
कार्यपालक समिति,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।